न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/22/2019/ 11/22/2019	12–9–2019	23–08–2022

01– लालचन्द पुत्र स्व0 नेतराम जाति जागिड ब्राहम्ण निवासी ग्राम बगड तिराहा तहसील रामगढ जिला अलवर ।

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार
रामगढ दिनांक 11.01.1983
नामान्तकरण सख्या 247 ग्राम बगडमेव
तहसील रामगढ जिला अलवर।

उपस्थितः–

01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट
01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 11.01.1983 नामान्तकरण संख्या 247 ग्राम बगड मेंव तहसील रामगढ दर्ज कर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 392 मिन रकबा 8 बिस्वा में से 4 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा न0 635/1051 रकबा 0.05 है0 बना है। ग्राम बगडमेंव तहसील रामगढ में स्थित है, जो अपीलान्ट के पिता स्व0 नेतराम के कब्जे काश्त खातेदारी की थी। विवादित आराजी 8 बिस्वा में से 604 वर्गगज यानि 4 विस्वा भूमि की किस्म आवासीय एंव व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने के लिए स्व0 नेतराम ने राजस्थान भू0 राजस्व/ग्रामीण क्षैत्रो में कृषि भूमि को आवासीय व व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियम 1971 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार रामगढ व ग्राम पंचायत नगली मेंधा द्वारा नियमानुसार आवासीय एव व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने में सहमति देने पर एवम उक्त भूमि का मौका सहायक कलक्टर द्वारा देखने पर उनके द्वारा भी उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने में आपत्ति नही होने की वावत अपनी सहमति प्रदान की है। और अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 साबिक 392 रकबा 8 बिस्वा में से 301 वर्गगज यानि 2 विस्वा भूमि को आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ पूर्व में जिला कलक्टर अलवर के आदेश राज/77/5385–88 दिनाक 30.07.1977 अपीलान्ट के पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

स्व0 नेतराम के नाम उक्त का आराजी की किस्म रूपान्तरित किया जा चुका है, इसी रूपान्तरित खेत के सहारे जमीन में से 604 वर्गगज जमीन यानि 4 बिस्वा आराजी की बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपरोक्त परिस्थितियो में प्रार्थी नेतराम का उक्त प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अलवर ने दिनाक 14.09.1981 को स्वीकार किया गया है, आदेशानुसार अपीलान्ट के पिता द्वारा नियमानुसार देय कनवर्जन राशि जमा कराने के बाद अपीलान्ट के पिता नेतराम के नाम सनद पटटा 3043–47 दिनाक 14.09.1981 को तहसीलदार रामगढ द्वारा जारी किया गया। जिस सनद पटटा आदेश 3043–47 दिनाक 14.09.1981 को तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनाक 21.09.1982 के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनाक 08.12.1982 को नामान्तकरण संख्या 247 दर्ज किया जिसे भू0 अभिलेख निरीक्षक ने दिनाक 10.01.1983 को मिलान किया जिसे तहसीलदार रामगढ ने राजस्व अभियान में दिनाक 11.01.1983 को आराजी खसरा न0 392 मिन रकबा 4 बिस्वा यानि 604 वर्गगज नेतराम पुत्र मगलराम खातेदार बहक सिवायचक बिला लगानी गैरमुमकिन आबादी दर्ज किया जाना स्वीकार करने के आदेश प्रदान किये आलोच्य निर्णय में गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने का आदेश तो सही है, लेकिन अपीलान्ट के पिता स्व0 नेतराम पुत्र मगलराम की खातेदारी के नाम का अंकन हटाकर उनके स्थान पर सिवायचक बिला लगानी का अंकन तहत अदालत ने अपने निर्णय में दिया है, वह विधि विरूद्व जिला कलक्टर अलवर के निर्णय एवं सनद पटटा के खिलाफ एवं अपीलान्ट के पिता स्व0 नेतराम को सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायिक प्रकिया एव प्राकृतिक न्याय के सिद्वातो के खिलाफ एवं तथ्यो के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी जिस कारण समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी जिसमें अपीलान्ट की कोई लापरवाही नही रही है। अपीलान्ट दिनाक 09.08.2019 को पटवारी हल्का के पास अपने पिता स्व0 नेतराम के द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर आई विवादित आराजी का केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके पिता की खातेदारी की विवादित आराजी जिसे उन्होने आबादी में परिवर्तन कराया था को नामान्तकरण संख्या 247 के जर्ये दिनाक 11.01.1983 को ही आपके पिता की खातेदारी के स्थान पर सिवायचक बिना लगानी गैरमुमकिन आबादी का इन्द्राज हो गया है, इस लिए आपको क्रेडिट कार्ड या बैंक से लोन वगै0 नही मिल सकता है। जिस पर उसी दिनाक 09.08.2019 को तहसीलदार कार्यालय में जानकारी करके नकल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनाक 14.08.2019 को नकल प्राप्त हुयी जिसे अपने वकील को दिखाया तो अपील करने की सलाह दी गयी जिस पर खर्चे का इंतजाम कर अपील बिना देरी के निर्णय की जानकारी दिनाक 09.08.2019 से नकल तैयार होने की तारीख 14.08.2019 तक के दिन मयाद में मुजरा दिये जाने पर अपील अन्दर अवधि पेश की है। दिनाक 11.01.1983 से दिनाक 09.08.2019 तक का समय अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नही होने के कारण व्यतित हुआ है, जो कि नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने के कारण काबिल माफी तथा मयाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.01.1983 को निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट तहत अदालत में पक्षकार नही था, हाजा में अपील इजाजत बाबत 96 सी.पी.सी. पेश करना चाहिए था जो अपीलान्ट नही किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील मारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एव वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक द्वारा उठाई गयी कानूनी बिन्दू धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना के अभाव पर विचार किया जाना आवश्यक है। तहत अदालत के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अपीलान्ट तहत अदालत में पक्षकार नही था। न्यायालय हाजा में अपील इजाजत बाबत 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था जो अपीलान्ट द्वारा पेश नही किया गया है। अतः 96 सी.पी.सी. के अभाव में अपील के गुणदोष पर निर्णय किये बिना धारा 96 सी.पी.सी. के अभाव में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट 96 सी.पी.सी. के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.01.1983 नामान्तकरण सख्या 247 ग्राम बगडमेव तहसील रामगढ यथावतः रखा जाता है, निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-08-22

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)